

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर

संस्था पर कामकार सुनिकलिन... जीवाजी
विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अधिकारी व
के नामों आवाज वालिकारी नाम है।
संस्थाले दिए गए पूर्व में यह
प्राप्ति कुछ न हो वह क्रमिक हरे दिए
गए निम्न वाले दिए गए हैं।



फ़ॉकलरी
फ़ॉकलरी : (0751) 2341826
(0751) 2442826
फ़ॉकलरी : (0751) 2341766

प्रेषण :

कूलरायित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
कालियर

क्रमांक-एक/सम्बन्धता/2012/5902

दिनांक: 24/01/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर से सम्बन्ध आटएप्सी. कॉलेज, व्हरिंगर (0751-2445920) को सन् 2011-12 के लिये प्रश्नाविता-संबंधित पोर्ट वैष्णव बी.एस.-टी. (वर्तिंग), बी.एस.-टी. (वर्तिंग) पाठ्यक्रम क्षेत्राभ्यासक्रमों-विषयों की अध्यात्मी सम्बन्धता हेतु अनुशासन प्रबन्ध करने के लिये गारजीय कुलपति महाविद्यालयी की अभियोगी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेषक 27(10) के अन्तर्गत निर्गमनाकार विरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- (1) डी.ए. गोप्यामी, आधेष्टरन, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्रालियर। (संयोजक) (0751-2442828)
- (2) डॉ. सुजाता शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्तिंग, ग्रालियर।
- (3) प्रो. ए.के. हल्ले, आचार्य, राष्ट्रीय अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्रालियर।

विरीक्षण की अनुसन्धानों के अनुसार है कि दो प्राप्तिवेषक 27/28 के प्राप्तावारों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निर्माण कर चुके, लोहर रिंग, लिंगी शिरांगीक और लिंगी टॉप, पांचिका संस्था से प्राप्त अनुगमी/अवापति प्रमाण-पत्र, ग्रन्थ, लिंगी परिसर एवं पाठ्यक्रम आहेन्द्रन तथा पिछले सत्र में दो छात्र शर्मी की पूर्ण मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य-शिरोपिक एवं अशीर्वादिक लॉफ की नियुक्तियों का प्राप्त एवं तेतु आहे कि वारे में उपर्युक्त विवरण-अनुसारे अनियत नहीं।

शर्मी लिंगी की बेळ्क विनांक 26 नियमावधी 2012 को पद क्रमांक 60 (आ-आ-2) पर लिये गये नियमावृत्तार विरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन तक महाविद्यालय का विरीक्षण कर 15 विवर ग्रंथ विश्वविद्यालय कालियर में लियीकाम्प प्रतिवेषक प्रस्तुत किया जाए। विस्तरे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय विरीक्षण याँ) 45 दिनांक ने पूर्ण हो लिंगी एवं महाविद्यालय को विरीक्षणावधी द्वारा दी जाने वाली अध्यात्मी उपकरणता ने विकल्प नहीं होगा एवं यथा उभय उपकरण उपर्युक्ती कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के लिये इनको का प्राप्त युक्तिवात लिया जा सकेंग।

गठन के 45 विवर में Report प्राप्त न होने की विवरण ने वह गता जाएगा कि महाविद्यालय का विरीक्षण नहीं हुआ है। विरीक्षणाकार अध्यात्म जमा कराकर नवीन अभियोगी ग्रन्थित की जायेगी। जिसे 15 दिवस में विरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनियत होगा। परिवेषक 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए विवर जम्हों को प्रवेश देना अवैधिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शाखा जै कार्यस्थल अधीकार / कार्यालय संसाधने कार्यालयी लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुताविधि से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के उपर्युक्तों को टी.ए. / डी.ए. आवृत्त नव्य शिखा, सत्तापुड़ा भवन, भोपाल

कूलरायित

प्रतिलिपि -

1. अभियोग गठनों वाली ओर सूततार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राप्तार्थी अध्यात्म, संविधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि शासनामे के संयोजक से संपर्क स्थापित कर लेनीकाम्प विरीक्षण कर भवित्वात्यावधी का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराये की लक्ष्यता करें।
3. आवृत्त नव्य शिखा, सत्तापुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कूलरायित के लिये लहानक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्रालियर

संस्थाकार कूलरायित (सम्बन्धता)